संख्या-1/2023-लो0आ0-109/39-4-2023-15(133)/2022

प्रेषक,

देवी शंकर शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक आयुक्त,
उ0प्र0, लखनऊ।

सतर्कता अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 28 फरवरी, 2023

विषय - लोक आयुक्त संगठन उ0प्र0 के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत पुनर्विनियोग द्वारा अनुदान की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11058/लो0आ0-2022-11-57/2021 दिनांक 27.12.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक आयुक्त संगठन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु आवंटित बजट के सापेक्ष विभिन्न मानक मदों में रू0-32.00 लाख (रूपये बत्तीस लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि की व्यवस्था वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान सं0-82 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-05-लोक आयुक्त संगठन, उ0प्र0 (भारित) के अन्तर्गत मानक मद संख्य-58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान, 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय, 15-गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद, 08-कार्यालय व्यय में उपलब्ध बचत की धनराशि से पुनर्विनियोग (बी0एम0-9 संलग्न) कर वहन की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान सं0-82 के लेखाशीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-104-सतर्कता-05-लोक आयुक्त संगठन, उ0प्र0 (भारित) के अन्तर्गत मानक मद सं0-55-मकान किराया भत्ता, 49-चिकित्सा व्यय, 16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, 12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, 06-अन्य भत्ते के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

(1) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(2) जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोजित की जा रही है उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।

(3) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होगा।

(4) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किये जाने के विषय में समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण किया जायेगा तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व लोक आयुक्त संगठन, उ0प्र0 का होगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2023 तक सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी सं0- RE-budget-1-354-E-12-650-X-2022-23 दिनांक 16.02.2023 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

देवी शंकर शुक्ल
संयुक्त सचिव।

संख्या-1/2023-लो0आ0-109(1)/39-4-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(5) अनुभागीय गार्ड बुक/सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

देवी शंकर शुक्ल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।